

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी:- श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 79/17

1- श्री मंगललाल ज/ श्री हांगा जाट निवासी- वाज्या की रफ़ेडी, तहसील- माण्डल [कर्ण] — प्रार्थी

बनाम

1- श्री गोपाल ज/ श्री मांगीलाल जाट निवासी- वाज्या की रफ़ेडी, तहसील- माण्डल [कर्ण] — विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आ दे श ::

दिनांक:- 29.5.17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वाज्या की रफ़ेडी पटवार हल्का वाशोर II तहसील मांडल/करेडा में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं 2337 से 01 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 01 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगड़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.5.17 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगड़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हंरा-फैरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वाज्या पटवार हल्का वाशोर तहसील मांडल/करेडा में स्थित आराजी नम्बर वाशोर कुल किता 01 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगड़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगड़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वाशोर को 300/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगड़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगड़ी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगड़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा